

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
सीएल-1 अनुभाग

सं. 1/32/2013-सीएल V(भाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

सार्वजनिक सूचना

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 186 (11) (क) के अनुसार, आरबीआई के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जो ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई हैं या व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति द्वारा यथासमय लिए गए ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए गारंटी/सुरक्षा प्रदान करती हैं, को अधिनियम की धारा 186 (ऐसी धारा की उपधारा (1) को छोड़कर) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11(2) में संशोधन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से अनुरोध किया गया था ताकि आईएफएससीए के साथ पंजीकृत 'वित्त कंपनियों' को ऐसे नियम 11(2) के दायरे में शामिल किया जा सके, जिससे आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी के पास उपलब्ध छूट ऐसी वित्त कंपनियों को भी उपलब्ध हो। इस सुझाव का उद्देश्य आईएफएससी क्षेत्राधिकार में वित्त कंपनियों के लिए व्यापार में सुगमता प्रदान करना है।

एमसीए ने डीईए, आरबीआई और आईएफएससीए के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की है और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 11(2) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, एक अधिसूचना का मसौदा तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् www.mca.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

ऐसे प्रारूप संशोधनों पर स्टैकहोल्डरों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। संक्षिप्त रूप में औचित्य के साथ मसौदा संशोधन अधिसूचना पर सुझाव/टिप्पणियां 17 जुलाई, 2025 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-परामर्श मॉड्यूल के माध्यम से भेजी जाए।

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, जून 2025

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 173, 177, 178 और धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों को कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में, नियम 11 में, उपनियम (2) में-

(क) "पद के अंतर्गत में" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और संख्या "पद के अंतर्गत में - (i)", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शब्द "कराने का व्यवसाय" के बाद, शब्द, कोष्ठक और संख्या "और (ii) - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक वित्त कंपनी के संबंध में, आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 5 के उप-विनियमन (1) के खंड (ii) के उप-खंड (क) अथवा (ड.) में यथा निर्दिष्ट, अपने व्यवसाय के सामान्य कामकाज के दौरान, "ऋण, प्रतिबद्धताओं और गारंटी के रूप में उधार देने के कार्यक्रमलाप को पूरा करने का व्यवसाय, क्रेडिट वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय पट्टा, और पोर्टफोलियो की बिक्री और खरीद, अथवा वैश्विक या क्षेत्रीय कारपोरेट ट्रेजरी सेंटर के कार्यक्रमलाप करना", अन्तःस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 1/32/2013-सीएल-V-भाग]

(बालामुरुगन डी.)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 240 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 (अ), दिनांक 15 जून, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**Government of India
Ministry of Corporate Affairs
CL-I Section**

No. 1/32/2013-CLV(Part)
New Delhi, the 26th June, 2025

Public Notice

As per Section 186(11)(a) of the Companies Act, 2013 (Act) read with rule 11(2) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, the Non-Banking Financial Companies (NBFCs) registered with the RBI and engaged in the business of giving loans or providing guarantee/security for due repayment of loan availed by any person in the ordinary course of business, are exempt from the requirements of section 186 (except sub-section (1) of such section) of the Act.

The request was made by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for amending Rule 11(2) of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 to include "Finance Companies" registered with IFSCA within the scope of such rule 11(2), so that relaxation available with NBFCs registered with RBI is available to such Finance Companies also. The suggestion is aimed at providing ease of doing business for the Finance Companies in the IFSC Jurisdiction.

MCA has examined the proposal in consultation with DEA, RBI and IFSCA and it has been proposed to amend Rule 11(2) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. Accordingly, a notification has been drafted and is made available on the online portal of the Ministry i.e. www.mca.gov.in.

It has been decided to invite suggestions/comments on such draft amendment from stakeholders. Suggestions/comments on the draft amendment notification along with justification in brief may be sent latest by 17th July, 2025 through e-Consultation Module on the website of Ministry of Corporate Affairs.

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the June, 2025

G.S.R. (E).— In exercise of the powers conferred by sections 173, 177, 178 and section 186 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, in rule 11, in sub-rule (2) -

(a) for the words "shall include", the words, brackets and number "shall include - (i)", shall be substituted;

(b) after the words "ordinary course of its business", the words, brackets and number "and (ii)- with regard to a Finance Company registered with the International Financial Services Centres Authority, "business of carrying out activity of lending in the form of loans, commitments and guarantees, credit enhancement, securitisation, financial lease, and sale and purchase of portfolios as specified in sub-clause (a), or carrying out activity of Global or Regional Corporate Treasury Centre as specified in sub-clause (e) of clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 5 of IFSCA (Finance Company)

Regulations, 2021 in the ordinary course of its business" shall be inserted.

[F. No. 1/32/2013-CL-V-Part]

(Balamurugan D.)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 240(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended, *vide* notification number G.S.R. 409(E), dated the 15th June, 2021.